

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27(3)(4)पदो/अभि/2022/

जयपुर, दिनांक:

-आदेश-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अंतर्गत सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(रिव्यू) करने हेतु आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह द्वारा टंकण परीक्षा दिनांक 27.09.2016 को उत्तीर्ण किये पर निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक सं. 3(6)(4)स्था/पदो./अभि/19/12071-12115 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा इनका वरिष्ठ सहायक के पद पर चयन वर्ष 2017-18 में किये जाने के कारण श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुल्तान सिंह को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2022-23 में रिक्ति की दिनांक 01.04.2022 के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के पे मैटिक्स लेवल- 10 में पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर श्री सुनील कुमार मीणा के नीचे रहेगी। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्व अन्य अनुशंषाओ को यथावत रखा गया है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
03. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन।
04. समस्त उप निदेशक अभियोजन।
05. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष।
06. संस्थापन मंत्रालयिक शाखा (वरिष्ठ), अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
07. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,

राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5945641

Digitally signed by Rav Sharma
Designation: Director
Date: 2024.03.05 15:24:19 IST
Reason: Approved